न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/28/2021	2021/37	09.03.2021	08.08.2024

1. रघुवीर पुत्र खैमा जाति जाट साकिन सौंख तहसील कठूगर जिला अलवर (राज०)।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार कठूमर, जिला अलवर (राज०)।

——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार, कठूमर दिनांक 17.02.2021 प्रकरण संख्या आरए/17/2020 बअनुवान सरकार बनाम रघुवीर, अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम।

उपस्थितः–

01.श्री श्योराम सिंह नरूका —वकील अपीलाण्ट

02.राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेन्ट

निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार, कठूमर जिला अलवर दिनांक 17.02.2021 जिसके द्वारा प्रकरण संख्या आरए/17/2020 बअनुवान सरकार बनाम रघुवीर में अपीलान्ट को खसरा नम्बर 376 रकबा 0.43 है0 में से 0.12 है0 वाके ग्राम नंगला फरासिया (सौंख) तहसील कठूमर से बेदखल करने तथा लगान शास्ति राशि 36/– रूपये वसूल किये जाने से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि पटवारी हल्का सौंख ने एक रिर्पोट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कठूमर के यहां इस आशय की पेश की कि ग्राम सौंख (नंगला फरासिया) के आराजी खसरा नंबर 376 रकबा 0.43 किस्म गैर मुमकिन रास्ता मे से 0.12 है0 पर संवत 2077 में रास्ता को जोत लगा कर एवं कडवी रख कर अवरूद्ध कर दिया गया है। जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलांट को धारा 91 एल आर एक्ट के तहत नोटिस जारी कर तलब किया गया जिस पर अपीलांट/अप्रार्थी ने जवाब दिनांक 29–10–2020 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट अदालत श्रीमान में प्रस्तुत की है पटवारी हल्का ने मोके पर कोई पैमायश नहीं की है। प्रार्थी ने खसरा नंबर 376 रकबा 0.43 है0 गै०मु० रास्ता की जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है ना तो जोत लगाई है ना कडवी रखी है गै.मु.रास्ता की जमीन पर जगदीश पुत्र अमरचंद जाट निवासी नंगला फरासिया ने मकान बना कर अतिक्रमण कर रखा है, इस तथ्य की पटवारी हल्का को जानकारी है लेकिन पटवारी हल्का ने जगदीश से बेजा साज बाज होकर गलत रिपोर्ट की है। खसरा नंबर 376 के सहारे मिन प्रार्थी का खसरा नंबर 436 रकबा 0.86 है0 है जिस पर प्रार्थी काबिज है, जिसकी कोई पैमायश नहीं की गई है। जब मौके पर पैमायश ही नहीं की गई तो प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 376 गै.मु. रास्ते के रकबा 0.12 है0 पर अतिक्रमण की कहानी कतई गलत है। किसी अन्य पटवारी द्वारा खसरा नंबर 436 की पैमायश कराई जावे यदि कोई रकबा बढ़ा हुआ पाया जाता है तो प्रार्थी तुंरत कब्जा छोड देगा। आराजी खसरा नंबर 436 बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर में मुकदमा बअनुवान रघुवीर बनाम जगदीश विचाराधीन है जिसमें दिनांक 07–10–2020 को अप्रार्थी जगदीश को कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा ना करने बाबत पाबंद कर रखा है। पटवारी हल्का ने जगदीश से बेजा साज बाज होकर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

गलत रिर्पोट अदालत में पेश की है जिसके आधार पर नोटिस दिया है बिना पैमायश कराये नोटिस दिया जाना गलत है जिसकी कार्यवाही ड्रॉप फरमाया जाना जरूरी व न्यायोचित है। तदोपंरात अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17–2–2021 को निर्णय पारित क बेदखल करने व 36 रूप्या शारती वसूल करने के आदेश पारित किये हैं जिस निर्णय से व्यथित होकर यह अपील वजूहात के साथ पेश की जा रही है। मातहत अदालत तहसीलदार कठूमर द्वारा पारित निर्णय एक छपे छपाये प्रफोर्मा में भर कर पारित किया गया है जो निर्णय की तारीफ में नहीं आता है इसलिये तहत अदालत का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। तहत अदालत द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का के बयान नहीं लिये और ना ही अपीलाण्ट की साक्ष्य ली गई ऐसी सूरत में तहत अदालत का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। तहत अदालत का निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने खसरा नंबर 376 रकबा 0.43 है. गै०मु० रास्ता की जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है ना तो जोत लगाई है ना कडवी रखी है। गै. मु.रास्ता की जमीन पर जगदीश पुत्र अमरचंद जाट निवासी नंगला फरासिया ने मकान बना कर अतिक्रमण कर रखा है इस तथ्य की पटवारी हल्का को जानकारी है लेकिन पटवारी हल्का ने जगदीश से बेजा साज बाज होकर गलत रिर्पोट की है। खसरा नंबर 376 के सहारे मिन प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 436 रकबा 0.86 है. है जिस पर प्रार्थी काबिज है। आराजी खसरा नंबर 436 बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर में मुकदमा बअनुवान रघुवीर बनाम जगदीश विचाराधीन है जिसमें दिनांक 07–10–20 को अप्रार्थी जगदीश को कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा ना करने बाबत पाबंद कर रखा है। पटवारी हल्का ने जगदीश से बेजासाज बाज होकर गलत रिर्पोट अदालत में पेश की है। तहसीलदार कठूमर के न्यायालय में पटवारी हल्का ने जो रिपोर्ट दी है उसकी ताईद में कोई साक्ष्य नहीं ली गई है और ना ही रिपोर्ट पर प्रदर्श डाले गये हैं और ना ही बयान हुये हैं। जब पटवारी हल्का के बयान नहीं हुये ओर रिपोर्ट पर प्रदर्श नही डले तो वो साक्ष्य में ग्राहय नहीं है इसलिये तहत अदालत का आदेश काबिल निरस्तनीय है व अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है। तहत अदालत के समक्ष अपीलाण्ट ने मौखिक व अपने जवाब में यह निवेदन किया था कि आप मौके की रिपोर्ट मंगवा ले व पैमाईश करवा ले, लेकिन उसके बावजूद भी तहत अदालत द्वारा ना तो मौके की रिपोट मंगवाई और ना पैमाईश कराई। इसलिये तहत अदालत का आदेश निरस्तनीय है। निर्णय दिनांक 17–02–2021 तहसीलदार कठूमर का है जिसकी अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को होने से अपील श्रीमान के समक्ष पेश की जा रही है जो श्रीमान के श्रवण क्षेत्राधिकार में है। अतः अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कठूमर का आदेश/निर्णय दिनांक 17.02.2021 निरस्त फरमाने की कृपा करें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया है कि तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं वकील उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का सौंख की रिपोर्ट दिनांक 13.10.2020 के अनुसार अपीलान्ट को विवादित आराजी किस्म गैर मुमकिन रास्ता में जोत लगाकर एवं कड़वी रखकर अवरूद्ध कर अतिक्रमी होना बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अतिक्रमी/अपीलान्ट को विधिवत तामील हुआ नोटिस संलग्न है। उक्त विवादित आराजी किस्म गैर मुमकिन रास्ता में अतिक्रमी/अपीलान्ट द्वारा जोत लगाकर एवं कड़वी रखकर अवरूद्ध कर अतिक्रमण किया गया, विवादित भूमि किस्म गैर मुमकिन रास्ता है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी पर अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 17.02.2021 पारित किया गया है, जो उचित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से अस्वीकार किए जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17-02-2021 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)